

दिनांक:—16.07.2019

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी ने No Instruction किया जिसमें वकील वादी व प्रतिवादी दोनों के हस्ताक्षर हैं। अतः No Instruction किये जाने पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मिसल यानि दाखिल दफतर हो।

